बिहार सरकार
कृषि विभाग

संकल्प

विषयः– कृषोन्नति योजना के तहत सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना (आत्मा योजना) अंतर्गत प्रखण्ड, जिला एवं राज्य स्तर पर किसान सलाहकार समिति के गठन एवं दायित्व संबंधी अनुदेश।

कृषि एवं किसान कल्याण, मंत्रालय, भारत सरकार की कृषोन्नति योजना की उप योजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन अंतर्गत सभी जिलों में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) योजना अंतर्गत प्रखण्ड, जिला एवं राज्य स्तर पर किसान सलाहकार समिति का गठन करने का प्रावधान है।

2. समितियों के गठन का उद्देश्य – किसान सलाहकार समिति द्वारा किसानों के सलाह एवं सुझाव से कृषि एवं संबद्ध विभागों की प्रखण्ड, जिला एवं राज्य स्तरीय कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इसके द्वारा कृषि पारिस्थितिकी के अनुरुप फसल योजना तैयार कर किसानों को संबंधित तकनीकी ज्ञान प्रदान किया जाएगा। इस समिति के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध विभागों के कार्यों में किसानों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

3. ''किसान सलाहकार समिति'' गठन का नया अनुदेश वित्तीय वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 तक प्रभावी रहेगा।

4. <u>प्रखण्ड किसान सलाहकार समिति का गठन</u> –

(i) प्रखण्ड स्तरीय किसान सलाहकार समिति 24 मनोनीत किसान, प्रखण्ड प्रमुख एवं प्रखण्ड के सभी जिला परिषद सदस्य को मिलाकर गठित की जायेगी। प्रखण्ड किसान सलाहकार समिति के सदस्य सचिव प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक होंगे।

Pripati

(ii) 24 किसानों को निम्नवत कोटिवार मनोनीत किया जायेगा–

प्रगतिशील किसान	सामान्य	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जनजाति	कुल
पुरुष	08	03	02	02	01	**16**
महिला	04	01	01	02	0	**08**
कुल	**12**	**04**	**03**	**04**	**01**	**24**

(iii) किसान सलाहकार समिति के सदस्यों एवं अध्यक्ष का मनोनयन माननीय मंत्री, कृषि विभाग की अनुशंसा पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जायेगा। मनोनीत सदस्यों एवं अध्यक्ष के मनोनयन की सूचना कृषि विभाग द्वारा निर्गत की जाएगी तथा सभी संबंधितों को सूचित किया जाएगा।

(iv) समिति में एक तिहाई किसान लघु एवं सीमान्त श्रेणी से मनोनीत किये जायेंगे।

5. <u>प्रखण्ड किसान सलाहकार समिति के सदस्यों एवं अध्यक्ष का कार्यकाल</u> –

(क) गैर सरकारी सदस्यों एवं समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल 02 वर्षों का होगा।

(ख) किसी सदस्य के त्यागपत्र देने अथवा अन्य कारणों से पद रिक्त होने पर नए सदस्यों का मनोनयन शेष अवधि के लिए ही किया जाएगा।

(ग) अगर समिति का कोई सदस्य लगातार तीन बैठकों में उपस्थित नहीं होता है तो प्रखंड स्तरीय किसान सलाहकार समिति की अनुशंसा के आलोक में उसकी सदस्यता अध्यक्ष किसान सलाहकार समिति द्वारा समाप्त की जा सकेगी।

(घ) कोई भी गैर सरकारी सदस्य लगातार 02 बार अर्थात 02 वर्ष से अधिक अवधि के लिए अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं। परन्तु अगले 02 साल बाद पुनः उनका मनोनयन किया जा सकता है।

(ङ) 02 वर्षों के कार्यकाल समाप्ति के अंतिम 02 महीने के अंदर प्रक्रिया पूरी कराकर नए समिति का गठन तथा नए अध्यक्ष का मनोनयन किया जाना अनिवार्य होगा, परन्तु यह वर्तमान समिति के 02 वर्षों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद ही लागू माना जाएगा।

Tripathi

6. <u>प्रखण्ड किसान सलाहकार समिति का वित्तीय प्रबंधन</u> –

(क) प्रखण्ड किसान सलाहकार समिति के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता खोला जायेगा। खाता का संचालन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव –सह– प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

(ख) प्रखंड तकनीकी प्रबंधक–सह–सदस्य सचिव एक बार में रु० 10,000/– (रु० दस हजार मात्र) तक एकल (अपने) हस्ताक्षर से इस खाते से निकासी कर कर सकेंगे। रु० 10,000/– से अधिक का भुगतान/राशि की निकासी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

(ग) खर्च की गई राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रखंड तकनीकी प्रबंधक द्वारा परियोजना निदेशक, आत्मा को अविलम्ब उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(घ) प्रखंड किसान सलाहकार समिति के खाते में प्राप्त, खर्च एवं अवशेष राशि के लेखा संधारण के लिए प्रखंड तकनीकी प्रबंधक पूर्णतः जिम्मेवार होंगे। लेखा का अंकेक्षण आत्मा योजना के वार्षिक अंकेक्षण के साथ ही चार्टर्ड एकाउन्टेंट से नियमित रुप से कराया जायेगा।

(ड़) प्रखंड तकनीकी प्रबंधक–सह–सदस्य सचिव द्वारा प्रत्येक बैठक में समिति को प्राप्त एवं खर्च राशि का लेखा–जोखा समिति के समक्ष रखा जाएगा।

7. <u>प्रखण्ड किसान सलाहकार समिति की बैठक</u> –

(i) प्रखंड किसान सलाहकार समिति की बैठक प्रत्येक मौसम में एक बार होगी अर्थात चार बैठक अनिवार्य रूप से होगी। आवश्यकतानुसार अध्यक्ष एक महीने के अंदर भी बैठक बुला सकते हैं।

(ii) गैर सरकारी सदस्यों को प्रखण्ड किसान सलाहकार समिति की बैठक में भाग लेने हेतु आत्मा शासी परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के समतुल्य आने–जाने के लिए नियत यात्रा भत्ता देय होगा। परन्तु यह सिर्फ तिमाही/विशेष बैठकों के लिए ही देय होगा।

8. <u>प्रखण्ड किसान सलाहकार समिति का दायित्व</u> –

- प्रत्येक महीना में एक बार प्रखंड तकनीकी दल के साथ बैठक कर अगले माह की कार्य योजना पर चर्चा करके किसानों का फीडबैक देगी।

- यह समिति प्रखण्ड में किसानों को संगठित कर किसान उत्पादक संगठन (FPO) का गठन करायेगी एवं किसानों के उत्पादों का भण्डारण, प्रसंस्करण एवं विपणन कराने में सहयोग करेगी।
- यह समिति प्रखंड तकनीकी दल के साथ सजीव संवाद रखते हुए प्रखंड कृषि प्रसार की वार्षिक कार्ययोजना को बनाने एवं उसके क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करेगी।
- यह समिति अपने प्रखंड की सफल कहानियों, कृषि में अनूठे प्रयोगों एवं देशज परंपरागत ज्ञान (Indigeneous Knowledge) की पहचान एवं उसकी ग्राहयता बढ़ाने की दिशा में प्रखंड तकनीकी दल को मदद करेगी।
- यह समिति किसानों की अनुसंधान, प्रसार एवं विपणन संबंधी समस्याओं को प्रखंड तकनीकी दल को अवगत कराने का कार्य करेगी।
- प्रखंड किसान सलाहकार समिति के सदस्य समय–समय पर अपने तकनीकी ज्ञान के उन्नयन हेतु प्रयासरत रहेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसे अन्य किसानों के बीच प्रचारित /प्रसारित कर सकें।
- यह समिति प्रखंड में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से कृषक संगठनों को बढ़ावा देने में उन्हें प्रोत्साहित करेगी।

9. **जिला किसान सलाहकार समिति** –

क) जिला किसान सलाहकार समिति के सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार से होगा –

क्र0 सं0	समिति के सदस्यों का विवरण	पेशा	सदस्य की सं0	सदस्य का प्रकार
1.	परियोजना निदेशक, आत्मा	नौकरी	01	अध्यक्ष
2.	जिले के प्रत्येक प्रखंड किसान सलाहकार समिति के मनोनीत सदस्य	–	प्रत्येक प्रखण्ड से 01	सदस्य
3.	जिला में उत्कृष्ट कार्यो के लिए पुरस्कृत /ख्याति प्राप्त प्रगतिशील किसान (कृषि विभाग द्वारा नामित)	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र	05 (लघु एवं सीमांत– 02, महिला– 02 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति – 01)	सदस्य

Tripathi

4.	वरीय वैज्ञानिक–सह–प्रधान / कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र	नौकरी	01	सदस्य

नोट– पाँच एकड़ से कम रकवा वाले किसान को लघु एवं सीमांत किसान कहा जाता है।

10. **जिला स्तरीय समिति एवं गैर सरकारी सदस्यों का कार्य अवधि एवं चयन की प्रक्रिया** –

क) प्रखंड किसान सलाहकार समिति द्वारा प्रत्येक प्रखंड से किसान सलाहकार समिति के अध्यक्ष को जिला किसान सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाएगा तथा बैठक की कार्यवाही सहित सूचना परियोजना निदेशक, आत्मा को उपलब्ध कराया जाएगा।

ख) जिला स्तरीय अन्य गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन माननीय मंत्री, कृषि विभाग की अनुशंसा पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जायेगा। मनोनीत सदस्यों के मनोनयन की सूचना कृषि विभाग द्वारा निर्गत की जाएगी तथा सभी संबंधितों को सूचित किया जाएगा।

ग) जिला स्तरीय गैर सरकारी सदस्यों एवं इस समिति का कार्यकाल 02 वर्षों के लिए होगा। 02 वर्षों के बाद नए गैर सरकारी सदस्य मनोनीत किए जायेंगे। परन्तु 04 वर्षों के बाद पुराने गैर सरकारी सदस्य पुनः मनोनीत किए जा सकते हैं।

घ) जिला किसान सलाहकार समिति के मनोनीत किसी गैर सरकारी सदस्य के त्यागपत्र देने अथवा अन्य कारण से पद रिक्त होने पर उपर्युक्त अनुदेश के आलोक में संबंधित सदस्य का चयन शेष अवधि के लिए किया जाएगा।

ड.) 02 वर्षों के कार्यकाल समाप्ति के अंतिम 02 महीने के अंदर प्रक्रिया पूरी कराकर नए समिति का गठन तथा गैर सरकारी सदस्यों का चयन किया जाना अनिवार्य होगा, परन्तु यह 02 वर्षों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद ही लागू माना जाएगा।

11. **जिला स्तरीय किसान सलाहकार समिति का वित्तीय प्रबंधन** –

(क) जिला अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्राप्त एवं खर्च राशि का लेखा प्रबंधन आत्मा शासी परिषद द्वारा किया जाएगा। लेखा का अंकेक्षण आत्मा योजना के वार्षिक अंकेक्षण के साथ ही चाटर्ड एकाउन्टेंट से नियमित रुप से कराया जायेगा।

(ख) गैर सरकारी सदस्यों को आत्मा शासी परिषद के सरकारी सदस्यों के समतुल्य आने–जाने के लिए नियत यात्रा भत्ता देय होगा। परन्तु यह सिर्फ तिमाही/विशेष बैठकों के लिए हीं देय होगा।

12.**समिति की बैठक** –

क) जिला किसान सलाहकार समिति की बैठक त्रैमासिक रूप से होगी तथा प्रमुखतः यह आत्मा प्रबंधन समिति के बैठक के पूर्व होगी।

ख) इस समिति की बैठक तीन महीने के अंदर भी आवश्यकतानुसार अध्यक्ष द्वारा बुलायी जा सकती है।

13.**जिला किसान सलाहकार समिति का दायित्व** –

- जिला किसान सलाहकार समिति की बैठक सामान्यतः प्रत्येक तीन माह (तीन माह से पूर्व भी) में कम से कम एक बार आयोजित की जा सकती है, जो अगली तिमाही की कार्य योजना पर अथवा किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर विस्तृत चर्चा कर आत्मा शासी परिषद /आत्मा प्रबंधन समिति को फीड बैक देगी।
- जिला किसान सलाहकार समिति किसान उत्पादक समूहों (FPO) को गठित कराने एवं उनके संचालन की कार्ययोजना बनाने में सहयोग करेगी। किसानों के उत्पादों को उचित मूल्य दिलाने के लिये कृषि उत्पादों के विपणन में समिति आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी।
- जिला स्तरीय किसान सलाहकार समिति द्वारा अपने गैर सरकारी सदस्यों के बीच से एक सदस्य को राज्य स्तरीय किसान सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में चयन/मनोनीत किया जाएगा तथा बैठक की कार्यवाही सहित सूचना निदेशक, बामेती, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाएगी।
- यह समिति आत्मा प्रबंधन समिति (AMC) के साथ सजीव संवाद रखते हुए जिला कृषि प्रसार की वार्षिक कार्ययोजना को बनाने एवं उसे क्रियान्वित करने में सहयोग प्रदान करेगी।
- इस समिति का उद्देश्य कृषि एवं कृषि से संबद्ध क्षेत्र की समस्याओं पर आत्मा प्रबंधन समिति (AMC) को जानकारी देना है।
- यह समिति अपने जिला की सफल कहानियों, कृषि में अनूठे प्रयोगों एवं देशज परंपरागत ज्ञान (Indigeneous Knowledge) की पहचान एवं उसकी ग्राहयता बढ़ाने की दिशा में आत्मा प्रबंधन समिति (AMC) को मदद करेगी।

Tripathi

- यह समिति किसानों की अनुसंधान, प्रसार एवं विपणन संबंधी समस्याओं को आत्मा प्रबंधन समिति (AMC) को अवगत कराने का कार्य करेगी।
- जिला किसान सलाहकार समिति के सदस्य समय–समय पर अपने तकनीकी ज्ञान के उन्नयन हेतु प्रयासरत रहेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तकनीकी जानकारी को अन्य किसानों के बीच प्रसारित कर सके।
- यह समिति जिला में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से कृषक संगठनों को बढ़ावा देने में उन्हें प्रोत्साहित करेगी।
- जिला किसान सलाहकार समिति का कोई सदस्य लगातार तीन या तीन से अधिक बैठक में अनुपस्थित रहेंगे तो उनकी सदस्यता अध्यक्ष द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।
- जिला किसान सलाहकार समिति के किसी भी सदस्य के त्याग पत्र की मंजूरी समिति के अध्यक्ष–सह–परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा दी जा सकती है।
- इस समिति के गैर सरकारी सदस्यों की सदस्यता अवधि कृषि विभाग के अनुमोदनोपरांत सूचना निर्गत की तिथि से दो वर्षों तक के लिए होगी।

14.<u>राज्य स्तरीय किसान सलाहकार समिति</u> –

राज्य स्तरीय किसान सलाहकार समिति के सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार से होगा –

क्र0 सं0	समिति के सदस्यों का विवरण	पेशा	सदस्य की सं0	सदस्य का प्रकार
1.	राज्य नोडल पदाधिकारी, (आत्मा योजना), बिहार	नौकरी	01	अध्यक्ष
2.	जिला किसान सलाहकार समिति द्वारा मनोनीत सदस्य		23 (विवरण नीचे दिया गया है)	सदस्य
	(i)महिला किसान	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र	07	राज्य स्तरीय किसान सलाहकार समिति के गैर सरकारी किसानों की
	(ii) अनुसूचित जाति / जनजाति किसान	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र	02	

	(iii) लघु एवं सीमांत किसान	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र	07	संख्या अधिकतम 23 होगी जो **रोटेशन के आधार पर होगा।**
	(iv)सामान्य किसान	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र	07	
3.	राज्य में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत / ख्याति प्राप्त प्रगतिशील किसान . (कृषि विभाग द्वारा नामित)	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र	05 (लघु एवं सीमांत– 02, महिला– 02 तथा अनुसूचित जाति / जनजाति – 01)	सदस्य
4.	निदेशक बामेती, बिहार, पटना	नौकरी	01	सदस्य सचिव

15.समिति के गैर सरकारी सदस्यों की कार्य अवधि एवं चयन की प्रक्रिया–

क) राज्य स्तरीय गैर सरकारी सदस्यों में से क्रमांक 02 के 23 किसानों का मनोनयन जिला किसान सलाहकार समिति अध्यक्ष / सदस्य से रोटेशन के आधार पर एवं क्रमांक 3 पर राज्य में उत्कृष्ट कार्यों के लिये पुरस्कृत / ख्याति प्राप्त प्रगतिशील 05 किसानों को मनोनयन माननीय मंत्री, कृषि विभाग की अनुशंसा पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जायेगा। मनोनीत सदस्यों के मनोनयन की सूचना कृषि विभाग द्वारा निर्गत की जाएगी तथा सभी संबंधितों को सूचित किया जाएगा।

ख) राज्य स्तरीय गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल 02 वर्षों के लिए होगा। 02 वर्षों के बाद नए गैर सरकारी सदस्य मनोनीत किए जायेंगे। परन्तु 04 वर्षों के बाद पुराने गैर सरकारी सदस्य पुन चयनित किए जा सकते हैं।

ग) किसी गैर सरकारी सदस्य के त्यागपत्र देने अथवा अन्य कारण से पद रिक्त होने पर उपर्युक्त अनुदेश के आलोक में संबंधित सदस्य का चयन शेष अवधि के लिए किया जाएगा।

घ) 02 वर्षों के कार्यकाल समाप्ति के अंतिम 02 महीने के अंदर प्रक्रिया पूरी कराकर नए समिति का गठन तथा गैर सरकारी सदस्यों का चयन किया जाना अनिवार्य होगा, परन्तु यह 02 वर्षों के कार्यकाल की समाप्ति के बाद हीं लागू माना जाएगा।

16. <u>समिति का वित्तीय प्रबंधन</u> –

क) राज्य अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्राप्त एवं खर्च राशि का लेखा प्रबंधन निदेशक, बामेती, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा। लेखा का अंकेक्षण आत्मा योजना के वार्षिक अंकेक्षण के साथ ही चाटर्ड एकाउन्टेंट से नियमित रुप से कराया जायेगा।

ख) सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन अंतर्गत आत्मा योजना में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार गैर सरकारी सदस्यों को आने–जाने के लिए नियत यात्रा भत्ता देय होगा अथवा अंतर्विभागीय कार्य समूह द्वारा निर्धारित दर के अनुसार देय होगा। परन्तु यह सिर्फ तिमाही/विशेष बैठकों के लिए ही देय होगा।

17. <u>समिति की बैठक</u> –

क) राज्य किसान सलाहकार समिति की सामान्य बैठक त्रैमासिक रूप से होगी।

ख) इस समिति की बैठक तीन महीने के अंदर भी आवश्यकतानुसार अध्यक्ष द्वारा बुलायी जा सकती है।

18. <u>समिति के सदस्यों का दायित्व</u> –

- राज्य किसान सलाहकार समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह (तीन माह से पूर्व भी) में कम से कम एक बार आयोजित की जा सकती है. जो अगली तिमाही की कार्य योजना पर अथवा किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर विस्तृत चर्चा कर अंतर्विभागीय कार्य समूह को फीडबैक देगी।
- यह समिति बामेती शासी परिषद/अंतर्विभागीय कार्य समूह के साथ सजीव संवाद रखते हुए राज्य कृषि प्रसार की वार्षिक कार्ययोजना को बनाने एवं उसे क्रियान्वित करने में सहयोग प्रदान करेगी।
- राज्य किसान सलाहकार समिति किसान उत्पादक समूहों (FPO) को गठित कराने एवं उनके संचालन की कार्ययोजना बनाने में सहयोग करेगी। किसानों के उत्पादों को उचित मूल्य दिलाने के लिये कृषि उत्पादों के विपणन में समिति आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी।
- इस समिति का उद्देश्य कृषि एवं कृषि से संबद्ध क्षेत्र की समस्याओं पर बामेती शासी परिषद को जानकारी देना होगा।

* यह समिति अपने राज्य की सफल कहानियों, कृषि में अनूठे प्रयोगों एवं देशज परंपरागत ज्ञान (Indigeneous Knowledge) की पहचान एवं उसकी ग्राहयता बढ़ाने की दिशा में बामेती शासी परिषद/अंतर्विभागीय कार्य समूह को मदद करेगी।
* यह समिति किसानों की अनुसंधान, प्रसार एवं विपणन संबंधी समस्याओं को बामेती शासी परिषद/अंतर्विभागीय कार्य समूह को अवगत कराने का कार्य करेगी।
* राज्य किसान सलाहकार समिति के सदस्य समय-समय पर अपने तकनीकी ज्ञान के उन्नयन हेतु प्रयासरत रहेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसे अन्य किसानों के बीच प्रसारित/प्रचारित कर सकें।
* यह समिति राज्य में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं सहयोग से कृषक संगठनों को बढ़ावा देने में उन्हें प्रोत्साहित करेगी।
* राज्य किसान सलाहकार समिति का कोई सदस्य लगातार तीन या तीन से अधिक बैठक में अनुपस्थित रहेंगे तो उनकी सदस्यता अध्यक्ष द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।
* राज्य किसान सलाहकार समिति के किसी भी सदस्य के त्याग पत्र की मंजूरी निदेशक बामेती के अनुशंसा पर प्रधान सचिव/सचिव, कृषि, बिहार-सह-अध्यक्ष अंतर्विभागीय कार्य समूह बिहार, पटना के द्वारा की जाएगी।

19. प्रशासी विभाग द्वारा योजना कार्यान्वयन में आवश्यकता होने पर आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।
20. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति संचिका संख्या-117/बामेती/FAC/2013-14 के पृ0-96/टि0 पर दिनांक 04.02.2025 को प्राप्त है।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

12/2

(संजय कुमार अग्रवाल)
सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञापांक :– 117/बामेती/FAC/2013–14/143 वि॰ दिनांक– 12/02/2025

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/उप सचिव, ई–गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति (सी.डी. एवं दो हार्ड कॉपी सहित) बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

12/2

सचिव,

कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञापांक :– 117/बामेती/FAC/2013–14/143 वि॰ दिनांक– 12/02/2025

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव, 12/2

कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञापांक :– 117/बामेती/FAC/2013–14/143 वि॰ दिनांक– 12/02/2025

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव, 12/2

कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञापांक :– 117/बामेती/FAC/2013–14/143 वि॰ दिनांक– 12/02/2025

प्रतिलिपि– माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/अपर निदेशक (शष्य), बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेती, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/ सभी जिला कृषि पदाधिकारी–सह–परियोजना निदेशक, आत्मा/सभी उप परियोजना निदेशक, आत्मा/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना को विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/2

सचिव,

कृषि विभाग, बिहार।